

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर 2023—भाद्र 20, शक 1945

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ. 31-23-1980-दो-सी.-1.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 277, दिनांक 6 सितम्बर 2023 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित अधिनियमों के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है:—

1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 65),
2. प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का सं. 46),
3. मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (2001 का. सं. 17) एवं
4. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का. सं. 52).

2. उक्त अधिसूचना में सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में "माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर सिंह भाटी" के स्थान पर "माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर सिंह भट्टी" एवं अंग्रेजी अनुवाद में "Hon'ble Justice Shri Maninder Singh Bhati" के स्थान पर "Hon'ble Justice Shri Maninder Singh Bhatti" पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, सचिव।